सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **246** राँची, मंगलवार

11 फाल्गुन, 1937 (श०)

1 मार्च, 2016 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

29 फरवरी, 2016

विषय:- **पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXI के तहत् 12-ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 42049.44 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में।**

अर्थोपाय (30)-01/2016-99/बजट राज्य में RIDF-XXI के तहत् कुल 12-ग्रामीण पथ परियोजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है, जिसके लिए नाबार्ड के पत्र संख्या-NB.JH.SPD/2056/RIDF-XXI-12RR/152nd PSC/2015-16, दिनांक 2 नवम्बर, 2015 द्वारा रुपये 42049.44 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है। अतः मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शर्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया जाता है:-

2. परियोजना की कुल लागत 52561.80 लाख रुपये है, जिसमें नाबार्ड से 42049.44 लाख रुपये एवं राज्य संसाधन का हिस्सा 10512.36 लाख रुपये शामिल है।

3. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची-I, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किये जायेंगे।

4. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्तें नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है (प्रतिलिपि संलग्न)। इसका अनुपालन पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जायगा।

5. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग के माध्यम से वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित विभाग] झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण राशि (42049.44 लाख) का 20% (अर्थात रुपये 8409.88 लाख) Mobilization Advance लिए जायेगें।

6. पथ निर्माण विभाग Nabard RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा।

7. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति पथ निर्माण विभाग, विभागीय website पर update करेगा।

8. पथ निर्माण विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा।

9. इन पथों की रख-रखाव एवं भविष्य की मरम्मति हेतु Toll लगाकर राशि उगाही की सार्थक पहल पथ निर्माण विभाग करेगा।

10. संबंधित पथ अगर पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं हो तो संबंधित विभागों से स्वामित्व प्राप्त कर, Defect-Liability period के बाहर हो तथा नये Tender के अनुरूप इसका कठोरता से पालन किया जाय।

11. यह संकल्प विभागीय संलेख-**53/**बजट दिनांक 9 फरवरी, 2016 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक

11 फरवरी, 2016 के मद सं॰-**21** के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 246—50+200 ।